भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 1558/2022

[SLP [C] No. 16820/2021]

सरदार मीणा - अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य - प्रत्यर्थी(ओं)

<u>निर्णय</u>

संजय किशन कौल, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।

2. शिकायतकर्ता रवि कुमार मीणा द्वारा दिनांक 12.05.2021 को अपीलकर्ता, जो गोला का बास के एक सरपंच हैं, के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त सरपंच 8-10 अन्य सहयोगियों के साथ लूट, लूट और हत्या का अपराध करने के इरादे से रात में हथियारों से लैस एक वाहन पर आया था।उन्होंने घर में घुसने का अपराध किया और जानलेवा चोट पहुंचाने के इरादे से अंधाधुंध गोलीबारी भी शुरू कर दी। इससे शिकायतकर्ता के शरीर के कई हिस्सों पर चोट आई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अपीलकर्ता को हिरासत में ले लिया। विचारण न्यायालय से जमानत प्राप्त करने का अपीलार्थी का प्रयास

सफल नहीं हुआ किंतु अंततः उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी।आरोप पत्र जांच के बाद दायर किया गया है और संबंधित निचली अदालत के न्यायिक मस्तिष्क के इस्तेमाल का इंतजार कर रहा है। क्या आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

3. उपर्युक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ ने एफआईआर और आगे की सामग्री के बारे में जानकारी मांगी। पुलिस द्वारा बाद की रिपोर्ट भेजी गई। विकास अधिकारी ने दिनांक 24.05.2021 को अलवर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नवीनतम तथ्यात्मक परिदृश्य की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखा। उन्होंने दिनांक 24.05.2021 को राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के शासी सचिव और आयुक्त के साथ ताहला पुलिस स्टेशन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों के साथ अपनी जांच के निष्कर्षों को साझा किया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की खंड 38 (1) और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 22 (2) के तहत प्रारंभिक जांच शुरू की गई और दिनांक 16.06.2021 को एक आरोप पत्र जारी किया गया। अपीलकर्ता को जांच लंबित रहने तक दिनांक 16.06.2021 को निलंबित कर दिया गया था।

4. सार रूप में अपीलार्थी के विद्वत वकील का कथन यह है कि यह उस प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक प्रयास है जो अपीलार्थी से चुनाव हार गया क्योंकि शिकायतकर्ता इस प्रतिद्वंद्वी का पुत्र है । वह यह दिखाने के लिए जमानत आदेश पर भरोसा करना चाहता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं पाया गया था। हम यह नोट कर सकते हैं कि दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वत वकील ने जमानत से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश का उल्लेख किया है । हमने शुरुआत में इस

पहलू से निपटा है क्योंकि हम मानते हैं कि दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत की गई यह लाइन वास्तव में विवाद के लिए अनुकुल नहीं है। हम यह जोड़ सकते हैं कि जमानत की मंजूरी केवल अन्वेषण पूरा होने के परिणामस्वरूप है और यदि हम जमानत आदेश को प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने के रूप में लेते हैं, तो यह अपने में विरोधाभासी बात होगी, क्योंकि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक बार जांच पूरी होने के बाद लोगों को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है जब तक कि जघन्य अपराध और अपराध में लिप्त होने या गवाहों को प्रभावित करने की आरोपी की प्रवृत्ति नहीं होती है।

5 अब हम मामले के मूल पर आते हैं जो खंड 38 है जो हटाने और निलंबन के प्रति निर्देश करती है। हम प्रासंगिक अंश को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करते हैंः

> **"38. हटाना और निलंबित करना-**
>
> (1) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझे, किसी सदस्य को, जिसके अंतर्गत किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी है, पद से हटा सकेगी।
>
> (क) कार्य करने से इंकार करता है या ऐसे कार्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या
>
> (ख) कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार या किसी अपमानजनक आचरण का दोषी हैः
>
> ने किया।

राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्थान के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकती है, जिसके खिलाफ उप-धारा (4) के तहत जांच शुरू की गई है।

(1) या जिसके विरुद्ध नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के संबंध में न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही लंबित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निलंबन के अधीन रहते हुए संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित माना जाएगा।

6. यह प्रत्यर्थियों का अपना मामला है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक जांच केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं की थी (जैसा कि प्रतिवादी हलफनामे में दिया गया है) और 'कदाचार'का प्रथम दृष्टया मामला पाया था। राज्य सरकार को धारा 38 के खंड (4) के अनुसार किसी व्यक्ति को निलंबित करने की शक्ति है। उक्त उपबंध के दो अंग हैंः(क) जिनके विरुद्ध उपधारा (1) और (ख) के अधीन जांच आरंभ की गई थी या जिनके विरुद्ध नैतिक अधमता वाले अपराध के संबंध में दांडिक कार्यवाहियां न्यायालय में विचाराधीन हैं। यह प्रतिवादी का कहना है कि उक्त प्रावधान के पहले भाग के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

9. अपीलार्थी के विद्वत वकील ने यह तर्क देने की मांग की कि दिनांक 16.06.2021 के निलंबन के आदेश का पठन केवल एफआईआर के अनुसरण में आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत को संदर्भित करता है,

लेकिन फिर इसे केवल पढ़ने पर, यह दर्शाता है कि निलंबन के लिए क्या जिम्मेदार है खंड (1) के संदर्भ में एक आचरण है।

हम यह भी कह सकते हैं कि निलंबन आदेश को सबसे अधिक खुशी का शब्द नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि अजीत सिंह और एक अन्य बनाम वित्त आयुक्त और सरकार के सचिव और एक अन्य के निर्णय का अनुपात लागू नहीं होगा क्योंकि उस मामले में, उपायुक्त की राय का गठन अनुपस्थित पाया गया था।

10. हम अपीलार्थी के विद्वत वकील के प्रस्तुतीकरण के एक पहलू को मान्यता देते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मामलों में, प्रक्रिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत लागू नहीं होंगे, क्योंकि उस अवधि के रूप में जिसके लिए सरपंच को कार्य करना था, उसके आचरण के निर्धारण के बाद व्यथित पक्ष को क्षतिपूर्ति का कोई सवाल नहीं है, उसे बहाल नहीं किया जाएगा। यह वह निवेदन है जिसने इस बात पर विचार करने के लिए हमारे मन में विचार किया है कि वर्तमान मामले में कौन सा उपयुक्त निर्देश पारित किया जाए।

11. हम, पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्यर्थी पक्ष का मत यह है कि कार्रवाई संबंधित अधिकारी द्वारा एफआईआर के अनुसरण में आयोजित जांच पर आधारित है। अपीलार्थी के आचरण का निर्धारण करने में इस चरण में आपराधिक मामले में कार्यवाही आधार नहीं बनेगा बल्कि यह अपीलार्थी के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर निर्भर होगा। ऐसी स्थिति में, निलंबन भी अनंत रूप से जारी नहीं रह सकता है, और वह भी तब, जब इसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही की प्रतीक्षा नहीं करनी है।

12. इस प्रकार हमारा विचार है कि उक्त अधिनियम की खंड 38 (1) के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों को जल्द से जल्द समाप्त करना आवश्यक है और यह भी कहा गया है कि अभिवचन पूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी को 30 अप्रैल, 2022 को या उससे पहले कार्यवाही पूरी करनी चाहिए और उन कार्यवाहियों में सहयोग करना अपीलार्थी का परम कर्तव्य होगा ताकि उनमें देरी न हो। इसका परिणाम यह होगा कि निलंबन आदेश मात्र 30 अप्रैल, 2022 तक लागू रहेगा।

13. प्रत्यर्थी (ओं) के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे इन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के पंजीकरण को अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाहियों के सिद्धांतों पर आरोप सिद्ध करें न कि युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की आपराधिक कार्यवाहियों के सिद्धांतों पर।

14. पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे, तद्नुसार अपील का निस्तारण किया जाता है ।

नई दिल्ली

22 फरवरी, 2022

कोर्ट नंबर 6 खंड Xv

भारत का सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही का रिकॉर्ड

अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाएं (सी) सं.16820/2021

(जयपुर में राजस्थान के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा पारित डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 633/2021 में 13-09-2021 के आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न)

सरदार मीणा याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य उत्तरदाता (ओं)

तिथि: 22-02-2022 इस याचिका पर आज सुनवाई हुई।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री शेखर प्रीत झा,

एओआर श्री सुनील कुमार जैन, एड.

प्रतिवादी के लिए श्री अमिताभ कुमार चौबे, एएजी

श्री केतन पॉल, एओआर

वकील को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया

अनुमति मंजूर की गई।

रिपोर्ट करने योग्य के संदर्भ में अपील का निपटान किया जाता है

हस्ताक्षरित आदेश।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(आशा सुंदरियाल) (पूनम वैद)

सहायक रजिस्ट्रार-सह-पीएस कोर्ट मास्टर

(एनएसएच) [हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य आदेश फाइल पर रखा गया है]

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translators)

Disclaimer:- The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.